

प्रातःलिपि आदेशादनांक १४-६-१४ पारित द्वारा श्री जशेक शिल्पे
सरस्य राजस्व मण्डल मध्यू० रवालियर षुक्र० निः० ७३७-४५/०८
विह० आदेशादनांक १५-११-२००६ पारत द्वारा अ० बायुष्ट भागर
भाग भागर पञ्च० ७३/अ०-६/२००५-२००६ ।

१- मुल० पानखाई पुत्रा कुजौराय
निवास युम दिलोडा तहसील जतारा
जिला टोकमगांव मध्य० अन्य-५

--- आवेदकगण

विह०


मध्य० शासन

-- अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..निः०.७३९-फू.०८.....जिला ..टोकमगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-6-14	<p>आवेदक ओ॒ष्टवृक्ता श्री अरविन्द जैन दिनांक 12-12-08 को उपस्थित हुये थे उसके बाद अनुपस्थित न्यायालय द्वारा आवेदक ओ॒ष्टवृक्ता एवं आवेदकगण को सूचना पत्र जारा॑ किया उसके बाद अनुपस्थित अतः समय समय पर आबाज लावाई गई कोईउपस्थित मही॑। अनुपस्थित रहने के कारण पुकरण अदम पैरवो में छारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">  आ॒ष्टवृक्ता सदस्य </p>	